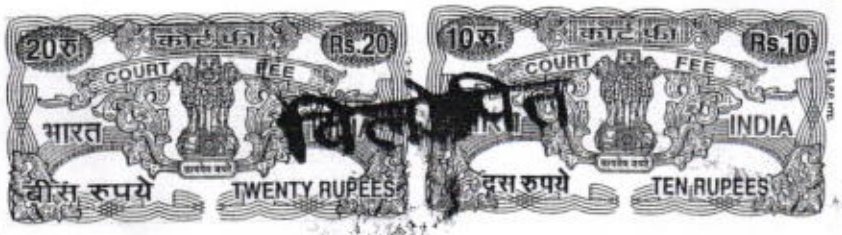

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

नीशो पुत्री स्व. गोरेलाल बिन्दुआ
निवासी कदारी तह. व जिला छतरपुर
.......आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय तहसीलदार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ-6-अ/2015–16 में पारित आदेश दि. 26–09–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदिका ने भूमि खसरा नंबर 62/5/अ/2 रकवा 1.578 हे0 स्थित मौजा ग्राम कदारी की भूमि को भूमि खसरा नंबर 395/1, 428 रकवा 1.338 हे. के बदले में न्यायालीयन अदला बदली आदेश दिनांक 16.10.97 के तहत कब्जा प्राप्त किया था तथा राजस्व रिकार्ड संशोधन किया गया था किंतु कम्प्यूटर रिकार्ड में आवेदिका का नाम प्राप्त भूमि पर दर्ज न होने के कारण उसने विधिवत आवेदन तहसीलदार छतरपुर के समक्ष कम्प्यूटर रिकार्ड में नाम दर्ज किए जाने बावत् प्रस्तुत किया था जो निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. . .R—4146-I—16. . . . जिला —छतरपुर. . . . .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-12-16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ—6—अ/2015—16 में पारित आदेश दि. 26—09—2016 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदिका ने भूमि खसरा नंबर 62/5/अ/2 रकवा 1.578 हे0 स्थित मौजा ग्राम कदारी की भूमि को भूमि खसरा नंबर 395/1, 428 रकवा 1.338 हे. के बदले में न्यायालीयन अदला बदली आदेश दिनांक 16.10.97 के तहत कब्जा प्राप्त किया था तथा राजस्व रिकार्ड में आवेदिका का नाम दर्ज किया गया था किंतु कम्प्यूटर रिकार्ड में आवेदिका का नाम प्राप्त भूमि पर दर्ज न होने के कारण उसने विधिवत आवेदन तहसीलदार छतरपुर के आवेदन प्रस्तुत कर कम्प्यूटर रिकार्ड में आवेदिका नाम दर्ज किए जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तुत की थी जिसमें भूमि ख.नं. 62/5/अ/2 रकवा 1.578 हे0 भूमि पटवारी हस्तलिखित खसरा 1997 से लगातार 2008—09 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मात्र कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज नहीं की गई है। इस कारण आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बिना किसी विधिक आधार के मात्र यह लेख कर की अदला बदली आदेश दिनांक 16.10.97 की प्रति प्रस्तुत न किए जाने से आवेदन निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है जबकि खसरा पांचसाला में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रकरण क्रमांक 14/अ—19 वर्ष 1996—97 आदेश दि. 16.10.97 के तहत भूमि खसरा 395/1 428/2 किता 2 रकवा 1.578 को म.प्र.शासन खसरा में दर्ज किया गया।	

[क्र. प. उ.

3- R. 4146-I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अदला बदली के उपरांत शासकीय दर्ज किया गया अर्थात् आवेदिका की भूमि शासन में दर्ज की गई तो शासन की भूमि आवेदिका के नाम दर्ज होगी इस कारण उन्होंने तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।

3— उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार छतरपुर द्वारा अपने आदेश में आवेदिका का आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि उसके द्वारा कलेक्टर छतरपुर के अदला बदली आदेश की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की है। मेरे समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में आवेदिका की भूमि को कलेक्टर के आदेश तहत शासन में दर्ज किए जाने की पुष्टि होती है। तथा खसरा पांचसाला में आवेदिका को अदला बदली में दी गई भूमि का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है इस कारण तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत नहीं पाता हूँ।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.16 निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा तहसीलदार छतरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे भूमि ख. नं. 62/5/अ/2 रकवा 1.578हे0 पर कम्प्यूटर/राजस्व अभिलेख में आवेदिका के नाम प्रविष्टि दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य